रजिस्ट्री सं॰ डी.एल.-33004/95

REGD. NO. D.L.-33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप खण्ड (i)
PART II--Section 3--Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 338] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 1995/श्रावण 17, 1917
No. 338] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 1995/SRAVANA 17, 1917

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1995

सा॰ का॰ नि॰ 586(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी मुख्य इंजीनियर (स्तर-I) भर्ती नियम, 1991 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1.1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी मुख्य इंजीनियर (स्तर-I) भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 है ।

1.2 ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी मुख्य इंजीनियर (स्तर-I) भर्ती नियम, 1991 की अनुसूची में--

(i) स्तंभ (2) में "(1991)" कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "(1995)" कोष्ठक और अंक रखे जाएग,

(ii) स्तंभ (12) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी:--

"प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण

1. केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने 5100-5700 रु॰ या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने 4500-5700 रु॰ या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या

(iv) जिन्होंने 3700-5000 रु॰ या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर नौ वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/विद्युत इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य ।

2. ऐसे विभागीय मुख्य इंजीनियर (स्तर-II) के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, या जिन्होंने मुख्य इंजीनियर (स्तर-II) और अधीनस्थ इंजीनियर (सिविल/विद्युत) के रूप में कुल मिलाकर नौ वर्ष नियमित सेवा की है और यदि मुख्य इंजीनियर (स्तर-I) के पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।"

[फा॰सं॰ 12011/1/93-सी डब्ल्यू, 1/बी/(डी)]
नवीन चावला, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा॰ का॰ नि॰ 241 (अ), तारीख 24 अप्रैल, 1991 भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 24 अप्रैल, 1991 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 1995

G.S.R. 586(E).--In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the All India Radio Chief Engineer (Level I) Recruitment Rules, 1991, namely:--

1.1 These rules may be called the All India Radio Chief Engineer (Level I) Recruitment (Amendment) Rules, 1995.

1.2 They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the All India Radio Chief Engineer (Level I) Recruitment Rules, 1991.
   (i) In column (2) for the brackets and figures "(1991)" the brackets and figures "(1995)" shall be substituted;
   (ii) in column (12) for the existing entries the following entries shall be substituted:--

PROMOTION/TRANSFER ON DEPUTATION

1. Officers of the Central/State Governments/Union Territories;

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or
(ii) With 2 years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 5100--5700 or equivalent; or
(iii) With 3 years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 4500--5700 or equivalent; or
(iv) With 9 years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 3700--5000 or equivalent; and

(b) Possessing degree in Civil/Electrical Engineering from a recognised University or equivalent.

2. The Departmental Chief Engineer (Level II) with two years' regular service in the grade or with nine years combined regular service as Chief Engineer (Level II) and Superintending Engineer (Civil/Electrical) will also be considered and in case he is selected for appointment to the post of Chief Engineer (Level I), the same shall be deemed to have been filled by promotion.

NOTE . The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.,
Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications)."

[F. No. A-12011/1/93-CW.I/B(D)]
NAVIN CHAWLA, Jt. Secy.

NOTE : The principal rules were published vide G.S.R. 241(E), dated 24th April, 1991 in Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated 24th April, 1991.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 1995